

समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1.

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली-1985 के नियम-6 एवं शासनादेश संख्या-37/1/1969-कार्मिक-दो दिनांक-31 अगस्त 1982 एवं शासनादेश संख्या-37/1/69-का-2/1995 दिनांक- 03 सितम्बर 1995 एवं कार्यालय लिपिक वर्गीय (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली 2001 (संख्या-2/2/99-का-2-2001 दिनांक-22-12-2001 में निहित प्राविधानों के अनुसार वेतनमान- PB-2 संगत लेवल-3 के रिक्त लिपिकीय पदों के विरुद्ध 20 प्रतिशत पदों को समूह "घ" के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भर्ती की जानी है, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन निम्न आधार पर किया जायेगा :-

क्र० सं०	विषय	अधिकतम अंक
1	लिखित परीक्षा	30
2	चरित्र पंजिका	10
3	साक्षात्कार	10
	कुल योग	50

चूंकि उपरोक्त भर्ती, पदोन्नति द्वारा लिपिक / टंकक के संवर्ग में की जानी है, इसलिए नियमानुसार कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण की परीक्षा भी ली जायेगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक अर्हताएं निम्नप्रकार होंगी :-

- (1) परीक्षा में समूह-घ के केवल वे कर्मचारी ही सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने दिनांक-30-06-24 तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर पॉच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, और हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट अथवा शासन द्वारा मान्य उसके समकक्ष कोई अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (2) शासनादेश संख्या-8/3/1965-कार्मिक-2 दिनांक-12-02-87 के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की किसी भी परीक्षा या उपाधि की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमित मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण किए कर्मचारी इस परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (3) शासनादेश संख्या-10/4/1978-कार्मिक-2 दिनांक-09-09-1983 के अनुसार दीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी भी उक्त परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (4) कार्मिक अनुभाग-4 के ज्ञाप संख्या-1823/का-4-19-ई0एस0/ 1983 / दिनांक-04-06-1984 के द्वारा परिवहन चालकों को समूह-ग के अन्तर्गत रखे जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अतः वाहन चालकों के आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जायें।
- (5) जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति संग्रह इकाई के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई है, चाहे उनकी नियुक्ति जिसके द्वारा भी की गई हो, उनके आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जायें एवं इसका गहन परीक्षण उनके सेवारोल एवं नियुक्ति पत्रों से कर लिया जाये।
- (6) आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता का सत्यापित फोटो अवश्य चस्पा किया जाये। परीक्षा आयोजित किये जाने के पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके आवेदन पत्र विवरण सहित भेजा जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अतः आप अपने जोन में स्थित कार्यालयों के पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर अपने स्तर से परीक्षण कराने के उपरान्त उनकी सूची / विवरण सहित नीचे अंकित प्रारूप पर दि० ।।।।॥२५२५, 2024 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त मुख्यालय को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विनाश नहीं किया जायेगा।

प्रारूप					
क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पद	नियमित नियुक्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान	शैक्षिक योग्यता	दि० 30.06.2024 तक पूर्ण की गई सेवा की अवधि
1	2	3	4	5	6

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रेषित सूची में सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण कर लें, ताकि कोई ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा में न बैठ सके, जो इसका पात्र न हो। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पदोन्नति हेतु उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह वही कर्मचारी है, जिसका नाम उनके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मुख्यालय उपलब्ध कराया गया है। यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दिया जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित नहीं होंगे उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया इससे सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाए और इस आशय की सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगवा दी जाए।

पदोन्नति हेतु उपर्युक्त परीक्षा का स्थान एवं तिथि बाद में निर्धारित करते हुए सम्बन्धित कार्यालयों को सूचित किया जाएगा।

### संलग्नक - यथोपरि

  
(सुनील कुमार शर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- उपायुक्त एवं वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० के अवलोकनार्थ।
- 2- अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, राज्यकर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय से सम्बन्धित अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मुख्यालय अग्रसारित करने का कष्ट करें।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 4- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

- 
- 5- समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय को इस अनुग्रह के साथ प्रेषित कि अपने अनुभाग से सम्बन्धित सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को उपग्रेड पदोन्नति परीक्षा के सम्बन्ध में अवगत करा दें और अहं अध्यर्थियों से आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित प्राप्त कर, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग को निश्चित तिथि तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  - 6- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश को इस अनुग्रह के साथ प्रेषित कि प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित विवरण निर्धारित प्रारूप में अहं अध्यर्थियों के आवेदन पत्रों की दो-दो प्रतियों सहित अपने अपर आयुक्त ग्रेड-I को निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा कोई भी आवेदन पत्र सीधे मुख्यालय को अप्रसारित न किये जायें।
  - 7- अध्यक्ष / महामंत्री उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, गाजियाबाद / मुख्यालय, लखनऊ।



(सत्येन्द्र कुमार)

उपायुक्त (स्थान) अराजपत्रित राज्य कर  
मुख्यालय लखनऊ।

### आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1 अभ्यर्थी का नाम ..... अभ्यर्थी की  
सत्यापित  
फोटो
- 2 पिता / पति का नाम .....
- 3 जाति .....  
(यदि अनुजाति/अनुजनजाति के सदस्य हैं तो जाति प्रमाण की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
- 4 स्थायी पता .....
- 5 विभाग में नियमित नियुक्ति की तिथि .....
- 6 वर्तमान तैनाती कार्यालय .....
- 7 दि 30-06-2024 को पूर्ण सेवावधि .....
- 8 शैक्षिक योग्यता .....  
(शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक पत्र / प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियोग संलग्न की जायें)
- 9 यदि हिन्दी टंकण का ज्ञान है तो गति .....(प्रति मिनट)
- 10 यदि उक्त परीक्षा में पूर्व में भी सम्मिलित हुए हैं, तो उसका विवरण / वर्ष .....
- 11 मोबाइल नं 0 .....

कर्मचारी के हस्ताक्षर	.....
कर्मचारी का नाम	.....
पदनाम	.....
दिनांक	.....

संस्तुतिकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति एवं  
मुहर हस्ताक्षर पदनाम सहित

प्रमाणित किया जाता है कि श्री----- चतुर्थ श्रेणी  
कर्मचारी के आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। यदि कोई त्रुटि भविष्य में पायी जाती है  
तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व पदेन अधिकारी / अभ्यर्थी का होगा।  
दिनांक-----

हस्ताक्षर  
अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्यकर  
मोहर